न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 75/20148 दायरा दिनांक : 04.06.2018

उनवान

नरवर सिंह आत्मज श्री भैरू सिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया हाडा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— धनकुंवर बाई पत्नी श्री मेहरबान सिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया हाडा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड

2— पूजा नाबालिग पुत्री मेहरबान सिंह जरिये वली माता धनकुंवर बाई, जाति राजपूत, निवासी निपानिया हाडा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड

3— बिशनबाई पुत्री नरवर सिंह पत्नी गोरधन सिंह राजपूत, निवासी झीकडिया सिलेहगढ़

4— कालीबाई पुत्री नरवर सिंह पत्नी विनोद सिंह, जाति राजपूत, निवासी मोलड़ा, तहसील भानपुरा, जिला झालावाड

5— रेखा बाई पुत्री नरवर सिंह पत्नी शंकर सिंह राजपूत, निवासी गांवडी, तहसील भानपुरा, जिला झालावाड

6— रामकुंवर बाई पत्नी सरदार सिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया हाडा, तहसील पचाहाड, जिला झालावाड

7— सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी. के. मंत्री अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.08.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 01/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 3 लगायत 6 के खिलाफ एक दावा अर्न्तगत धारा 88, 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम निपानिया हाडा, तहसील पचपहाड में जमाबंदी सम्वत 2067—2070 खतौनी संख्या नई 24 पुरानी 59 में आराजी खसरा नम्बर 13/1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा स्थित है । प्रतिवादी नम्बर 1 के एक पुत्र व तीन पुत्रियां हैं । प्रतिवादी नम्बर 1 के पुत्र मेहरबान सिंह का स्वर्गवास हो चुका है । वादी नम्बर 1 व 2 मेहरबान सिंह की पत्नी व पुत्री हैं । वादग्रस्त आराजी नरवरसिंह के कब्जे काश्त व खाते की है । वादीगण के पति/पिता की मृत्यु होने के बाद प्रतिवादी नम्बर 1 वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हैं । वादग्रस्त आराजी में से 1/2 हिस्से का दान रामकुंवर बाई को कर दिया जो नामान्तरकरण संख्या 273 से रामकुंवर बाई के नाम दर्ज हो गई यह दान पत्र वादीगण के हितों के विरूद्ध प्रभावशून्य है एवं निरस्त होने योग्य है । अतः प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये । वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है जिसमें पक्षकारान का समान अधिकार है । वादग्रस्त आराजी पैतृक है जिसमें वादीगण का 1/5

हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 का 4/5 हिस्सा है । वादीगण अपने हिस्से की आराजी का बंटवारा कराकर अलग खाता दर्ज कराने की अधिकारी हैं, अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी स्वीकार कर वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ 1/5 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजी का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी बंटवारा किया जाकर खाता अलग कायम किये जाने की आज्ञा दी है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण को 1/5 हिस्से का सहखातेदार कृषक घोषित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होन से खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी को पुश्तैनी मानने में त्रुटि की है । पुश्तैनी आराजी बाबत कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गवाह, सबूत एवं दस्तावेजों के बिना प्रदर्शित किये निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना एवं जवाबदावे को रेकार्ड पर लिये बिना निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाये

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट जब भवानीमण्डी गया तब वकील साहब के बताने पर निर्णय की जानकारी हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी मानकर आराजी का बंटवारा किया गया है । जबकि वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड क्रय की गई है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो जमाबंदी की प्रति सलंग्न है उसको भी प्रदर्श नहीं करवाया गया है । वकील रेस्पोडेंट द्वारा बहस के दौराने वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की एक प्रति भी न्यायालय में पेश की गई है । वकील वादी ने बहस के दौराने बताया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट द्वारा क्रय की गई है । अतः पुश्तैनी नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी मानते हुए बिना अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान किये एवं केवल रेस्पोडेंट के बयानों के आधार पर वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट को 1/5 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया गया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं रेकार्ड का गहन अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तलब दस्तावेजों एवं

बयानों के आधार पर यह स्पष्ट नहीं होता है कि वादग्रस्त आराजी वादी की स्वार्जित है अथवा पुश्तैनी । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह दस्तावेजों का परीक्षण किये बिना एवं केवल रेस्पोडेंट के बयानों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया जाना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है । न्याय हित में यह आवश्यक है कि अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान किया जावे एवं तत्पश्चात विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर उभयपक्षीय बहस सुनकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.11.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा